



श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता
SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT, KOLKATA
हल्दिया गोदी परिसर
HALDIA DOCK COMPLEX
वित्त प्रभाग
Finance Division



सं.: पी बी - 446/340/एचए

3 मार्च, 2021

परिपत्र

विषय : हल्दिया गोदी परिसर, एसएमपी, कोलकाता के पेंशनधारकों, जिन्हें मार्च 2021 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करना है, के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने हेतु कैंप।

यह सूचित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष नियत माह में पेंशनधारकों द्वारा "जीवन प्रमाण पत्र" जमा करने के मौजूदा माध्यम/तरीके के अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा "डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र" बनाने के एक अतिरिक्त माध्यम/तरीका/प्रक्रिया/साधन के रूप में आया है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा बनाए गए "डिजिटल प्रमाण पत्र" कि मान्यता मौजूदा अन्य "जीवन प्रमाण पत्रों" के समतुल्य है।

अतः इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा बनाए गए "डिजिटल प्रमाण पत्र" पेंशनधारकों द्वारा "जीवन प्रमाण पत्र" प्राप्त करने का एक अतिरिक्त माध्यम/तरीका/प्रक्रिया/साधन है।

हल्दिया गोदी परिसर, एसएमपी, कोलकाता के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप, **मार्च 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने हेतु शेष, हल्दिया गोदी परिसर के पेंशनधारक जो हल्दिया अथवा उसके आस पास के निवासी हैं** उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से) बनाने हेतु तीसरे, चौथे एवं पाँचवें कैंप का आयोजन किया जाएगा।

यथा सुनिश्चित कार्यक्रम की अनुसूची निम्नप्रकार से है -

दिनांक एवं समय : 12, मार्च 2021 को प्रातः 10:00 बजे से (प्रतिदिन 2 सत्रों में)

स्थान : हल्दिया गोदी परिसर कर्मचारी क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड, गेस्ट हाऊस, कोलकाता
बिल्डिंग सं 6, रिमाउंट रोड, कोलकाता - 700027

तथापि, अन्य पेंशन धारक जो हल्दिया से बाहर के निवासी हैं परंतु हल्दिया गोदी परिसर के उक्त कैंप से "डिजिटल प्रमाण पत्र" की सुविधा ग्रहण करना चाहते हैं वे भी इस कैंप में उपस्थित हो सकते हैं, **बशर्ते कि ऐसे पेंशनधारकों द्वारा मार्च 2021 में "जीवन प्रमाणपत्र" जमा करना बाकी हो।**

पृष्ठ - २

ऐसी स्थिति में, इच्छुक पेंशनधारकों से निवेदन है कि वे उक्त कैंप में उपस्थित होने से पहले 28.02.2021 तक ह.गो.प. के वित्त प्रभाग के अधोलिखित संबंधित अधिकारियों से मोबाइल न. पर संपर्क करें।

श्री आर. एल. गुरिया, लेखा परीक्षा एवं लेखा अधिकारी : 8945534401
श्री जी. रॉय, लेखा परीक्षा एवं लेखा अधिकारी : 8945534413

हल्दिया गोदी परिसर के उन पेंशनधारकों जिनके "जीवन प्रमाणपत्र" जमा करने का नियत समय मार्च 2021 के बाद है, उन्हें संबंधित महीनों से पहले समय-समय पर सूचित किया जाएगा।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी "डिजिटल प्रमाण पत्र" से संबंधित आधारभूत जानकारी अनुलग्नक में दी गई है। विस्तृत जानकारी हेतु कृपया इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के आधिकारिक पोर्टल <https://www.ippbonline.com/web/ippb/digital-life-certificate1> पर उपलब्ध वेबलिनक पर जाएं। उक्त पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित वेबपेज की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

पेंशनधारकों एवं वृद्ध पेंशनधारकों के साथ आने वाले संबंधियों से निवेदन है कि वे कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक एहतियाती एवं सक्रिय उपायों का सख्ती से पालन करें।

एस.के. बंदोपाध्याय
०९.०३.२०२१

S.K. Bandopadhyay /एस. के. बंदोपाध्याय
Deputy Manager/उप प्रबंधक
Finance Division/वित्त विभाग

Haldia Dock Complex/हल्दिया गोदी परिसर
Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata/श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता
Contact Mobile No. : 9434063048

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के बारे में कुछ जानकारी
SOME INFORMATION ABOUT DIGITAL LIFE CERTIFICATE

प्र.1) डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र क्या है?

Q.1) What is Digital Life Certificate?

उ. 1) जीवित रहने का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए यह एक प्रकार का प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र है जिसे पेंशनभोगी अपने पेंशन वितरण और/या पेंशन स्वीकृत प्राधिकारी को 'जीवन प्रमाण पत्र' के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे सिस्टम या सर्विस भी कहा जा सकता है।

Ans. 1) To submit proof of survival it is a type of certificate or life certificate which the pensioner can submit to his / her pension disbursing and/or pension sanctioning authority as 'Life Certificate'. It can also be called a system or service.

प्र.2) क्या यह किसी भी तरह से विशेष है ?

Q.2) Is it special any way ?

उ. 2) यह अंगूठे के निशान(बायोमेट्री) और 'आधार' के बुनियाद पर उत्पन्न एक प्रमाण पत्र है।
This is a certificate generated on the basis of thumb impression (biometry) and 'Aadhaar'

Ans. 2)

प्र.3) क्या जीवित रहने का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए 'जीवन प्रमाण पत्र' प्रस्तुत और जमा करना अनिवार्य है?

Q.3) Is it mandatory to provide and submit 'Life Certificate' for submission of proof of survival?

उ. 3) नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। यह जीवित रहने का प्रमाण प्रस्तुत करने के प्रचलित तरीकों के बीच कई तरीकों में से एक है। एक पेंशनभोगी को ' लाइफ सर्टिफिकेट ' कैसे मिलेगा, यह उसकी अपनी पसंद और सुविधा का मामला है।

Ans. 3) No it is not mandatory. This is just one of the many ways amongst the prevailing ways to submit evidence of survival. How a pensioner will get a 'life certificate' is a matter of his own choice and convenience

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के क्या लाभ/सुविधाएं हैं ?

What are the benefits/advantages of digital life certificate system ?

इस प्रणाली की मुख्य सुविधाएं निम्नप्रकार से हैं -

The main advantages of this system are as follows -

- (क) जीवित रहने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने/जमा करने के लिए पेंशनधारक को अपने वितरण एवं/अथवा पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के कार्यालय, जो कि पेंशन धारक के घर से दूर स्थित हो सकता है, जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
To obtain and / or submit the certificate of survival, the pensioner does not have to go to the office of his / her pension disbursing and/or pension sanctioning authority, which may not be near the home of the pensioner.
- (ख) बल्कि, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली/सुविधा के तहत जीवन प्रमाण पत्र इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाकर अथवा उनके डोरस्टेप सर्विस द्वारा घर बैठे ही प्राप्त एवं जमा किया जा सकता है।
Instead, through the Digital Life Certificate facility/system, Life Certificate can be obtained and submitted through India Post Payments Bank by visiting the nearest post office or by availing their service at doorstep of home.
- (ग) डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना और बनाना एक कागज़ मुक्त, परेशानी मुक्त प्रक्रिया है एवं यह प्रमाण पत्र बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान पर आधारित) जीवन सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से बनाए जाने के साथ ही साथ पेंशनधारक की उपस्थिति में तत्काल जारी एवं संचारित किया जाता है।
Generation of and obtaining digital life certificates is a paperless, seamless and hassle free process and this certificate is produced through biometric (thumb impression based) life verification process as well as issued, and transmitted immediately in the presence of the pensioner.

**प्र.4) किसके माध्यम से एवं कैसे इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है ?
Through whom and how this facility or service can be availed/obtained ?**

उ. 4) वर्तमान में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्राधिकारी के माध्यम से इस सुविधा/सेवा का लाभ घर बैठे उठाया जा सकता है। देश भर में उपलब्ध केंद्रीय सरकारी पोस्ट ऑफिस में तैनात डाकिए/ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्राधिकारी द्वारा यह सेवा प्रदान की जाती है।
At present this facility /service, with doorstep service, is available through India Post Payments Bank authorities. India Post Payments Bank Authority provides this service through the postmen or rural postal servants deployed at the Central Government Post Offices across the country.

यह सेवा प्राप्त करने के इच्छुक पेंशनधारक अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा आप पोस्ट ऑफिस में सीधे जाकर प्राप्त कर सकते हैं अथवा डाकिए/ग्रामीण डाक सेवक को आपके घर आकर यह सेवा प्रदान करने हेतु अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में आवेदन या अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।

The pensioner willing to avail this service can contact his/her nearest post office. He/She can provide this service by appearing in person at the post office Or he/she can request or apply to the nearest post office to send the postman / rural postal worker to his/her doorstep to get this service.

घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, पेंशनधारक को अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से फोन कॉल के माध्यम से या अन्य माध्यम से संपर्क करना होगा अथवा इंडिया पोस्ट के पोस्ट इन्को ऐप के माध्यम से अपना अनुरोध पंजीकृत करना होगा अथवा वेबसाइट “

<http://ccc.cep.gov.in/covid/request.aspx> " के माध्यम से यथा सुनिश्चित समय पर आपके घर पहुँचकर सेवा प्रदान करने के लिए अपना अनुरोध दर्ज/पंजीकृत भी कर सकते हैं।

To get this service at his/her doorstep, the pensioner shall have to contact his/her nearest post office by making phone call or in any other way or can register his/her request with India Post through Post Info App or through the website "http://ccc.cep.gov.in/covid/request.aspx" thereby giving the time schedule for reaching his/her doorstep. of the house to book / register the request through India Post

यह विशेष रूप से उचित होगा कि इस सेवा का लाभ उठाने के लिए बायोमेट्रिक गैजेट पर अपने अंगूठे का निशान देने से पहले पेंशनधारक, डाकिया/ग्रामीण डाक सेवक की पहचान का सत्यापन कर लें।

It is especially advisable that while availing this service by giving his/her thumb impression on biometric gadget, the pensioner should verify the identity of the Postman / Rural Postal Servant before giving his/her thumb impression on the biometric gadget.

प्र. 5) क्या इस सेवा का लाभ उठाने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय है ?
Is any charge payable for availing this service ?

उ. 5) मौजूदा प्रणाली के तहत, सफलतापूर्वक बनाए एवं जारी किए गए प्रत्येक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक पेंशनधारक को रु. 70 (सत्तर रूपये मात्र) संबंधित डाकिए/ग्रामीण डाक सेवक को भुगतान करना होगा। घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पेंशनधारक को किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं करना होगा।

As per the existing system, for each successfully produced and issued Digital Life Certificate, each pensioner has to pay Rs. 70 (rupees seventy) only to the concerned Post Man / Gramin Dak Sevak. There is no extra charge for availing the service at the pensioners doorstep.

प्र. 6) अपना डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पेंशनधारक के पास किन-किन वस्तुओं का होना आवश्यक है ?
What are the things that a pensioner needs to have in advance in order to get his/her own Digital Life Certificate?

उ. 6) डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उपस्थित होने से पहले पेंशनधारक के पास अधोलिखित वस्तुएँ / व्यवस्था होनी चाहिए -

The pensioner must carry and keep with him/her the following things / arrangements with him / her while appearing for getting the Digital Life Certificate.

(क) पेंशनधारक के पास वैध आधार संख्या एवं अपना आधार कार्ड होना चाहिए।

The pensioner must have a valid Aadhaar number and Aadhaar card of his/her own.

(ख) इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, पेंशनधारक के पास अपना मोबाइल फोन एवं उसमें वैध एवं सक्रिय मोबाइल न. का सिम कार्ड होना चाहिए।

While availing the service, the pensioner must have with him/her a mobile phone with along with a valid and active mobile number SIM card inserted in this mobile phone.

(ग) पेंशनधारक की उपर्युक्त आधार संख्या पेंशन वितरण प्राधिकारी (यथा बैंक/पोस्ट ऑफिस/भारतीय जीवन बीमा निगम) एवं पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी (यथा हल्दिया गोदी परिसर, मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता) के पास पंजीकृत एवं अभिलेखित होनी चाहिए।

The above mentioned Aadhaar number of the pensioner must be registered and recorded with the Pension Disbursing Authority (i.e. Bank / Post Office / Life Insurance Corporation of India) and Pension Sanctioning Authority (i.e Haldia Dock Complex, Shyamaprasad Mukherjee Port, Kolkata).

(घ) ऐसी सूचनाएँ/विवरण यथा पेंशन का प्रकार, पेंशन अनुमोदन प्राधिकारी का विवरण, पेंशन वितरण प्राधिकारी का विवरण, वैध पेंशन रोल न. (हल्दिया गोदी परिसर द्वारा सीधे बैंक के माध्यम से पेंशन पाने वाले पेंशनधारकों के मामले में) / वार्षिकी संख्या (हल्दिया गोदी परिसर द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से पेंशन पाने वाले पेंशनधारकों के मामले में), वैध बैंक खाता संख्या जो पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत है इत्यादि पेंशनधारक के पास उपलब्ध होना चाहिए।

The information / details such as such as Type of Pension, Particulars of Pension Approving Authority, Particulars of Pension Disbursing authority, Valid Pension Roll No. (in case of Pensioners whose pension is paid by Haldia Dock Complex directly through banks) / Annuity No. (in case of Pensioners whose pension is paid by Haldia Dock Complex through Life Insurance Corporation of India) , Valid Bank Account Number that is registered with the Pension Sanctioning Authority should also be readily available with the Pensioner.

(च) हल्दिया गोदी परिसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता प्राधिकारी द्वारा जारी पीपीओ बुक एवं वैध एवं सक्रिय पेंशन कार्ड

Valid and Active Pension Card and PPO Book issued by Haldia Dock Complex, Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata Authority

नोट : यदि किसी पेंशनधारक ने विगत वर्षों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाया/प्राप्त किया है एवं इस दौरान उपरोक्त प्रमाणीकृत सूचना/विवरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में डिजिटल प्रमाणपत्र बनाने के लिए प्रयुक्त बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से संबंधित सूचनाएँ स्वतः उपलब्ध हो जाएंगी।

N.B. : If any Pensioner have obtained/availed the Digital Life Certificate in the previous years and if the above authenticated information / details are not changed in the intermediate period, then the related information will be available automatically through the biometric device used for generation of Digital Life Certificate.

प्र. 8) इस सेवा का लाभ उठाने के बाद सेवा प्राप्तकर्ता को कैसे पता चलेगा कि उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बन गया है ?

After availing this service, how will the service user know that his/her Digital Life Certificate has been generated?

उ. 8) इस सेवा के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तत्काल जारी हो जाएगा एवं सेवा प्राप्तकर्ता को उनके मोबाइल नंबर पर तत्काल इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से एक एसएमएस प्राप्त होगा। इस एसएमएस के माध्यम से सेवा प्राप्तकर्ता जान पाएंगे कि उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी हुआ है या नहीं।

Through this service the Digital Life Certificate will be generated immediately upon the service is provided and the service recipient will instantly receive an SMS from the India Post Payments Bank authorities to his/her above said mobile number accompanying

him/her. From this SMS, the service recipient will be able to know whether his Digital Life Certificate has been generated or not.

प्र. 9) क्या सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं ?

Will the person receiving this service be able to download his digital life certificate?

उ. 9) उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जारी होते ही, संबंधित पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाण पत्र लिंक – <https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login> के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

Once the certificate of life proof is generated through the above process, the concerned pensioner can download his/her Digital Life Certificate through the link <https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login>

आवश्यक चेतावनी : इस सेवा का लाभ उठाने के लिए , किसी भी दशा में, उपरोक्त उल्लिखित सूचना के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की सूचना यथा – पासवर्ड, बैंक खाता से संबन्धित जानकारी , व्यक्तिगत जानकारी, नियोक्ता संबंधी जानकारी, पेंशन संबंधी जानकारी आदि कदापि अपेक्षित नहीं है। अतः सेवा प्राप्तकर्ता ऐसी किसी भी प्रकार की सूचना किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति से साझा ना करें। बैंक एवं अन्य लेन-देन के मामलों आदि की सुरक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। पेंशनधारक अपने हित की सुरक्षा स्वयं करें।

Necessary Warning : For availing this service, in any case, other than the afore said information any other information such as password, bank account related information, personal information, employment related information, pension related information, etc. are not at all required and are hence should not be shared by the service recipient with anybody in any case. This is necessary to ensure security in respect of banking matters, other transaction matters etc. It is very essential for the pensioners to protect their own interests.

-----*****-----